उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार – 249404

संख्या : 857/05/ई–4/डी0आर0(ए0ई0)/2021–22 दिनांक : 09 जनवरी, 2024

साक्षात्कार–ज्ञाप

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या : A-2/E-4/A.E./2021-22 दिनांक 01 सितम्बर, 2021 के माध्यम से प्रकाशित 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा–2021' में **सिविल अभियंत्रण से स्नातक उपाधि** धारित करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक **30 जनवरी, 2024 से दिनांक 16 फरवरी, 2024 तक 02 सत्रों में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार** में निर्धारित है।

2. इस साक्षात्कार ज्ञाप के साथ आयोग की बेवसाइट **psc.uk.gov.in** पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे :–

(क) विस्तृत आवेदन–पत्र **(Detailed Application Form)** (प्रपत्र संख्या–02)

(ख) प्रमाणीकरण–प्रपत्र **(Attestation Form)** (प्रपत्र संख्या–03)

(ग) देशना–पत्रक **(Index Card)** (प्रपत्र संख्या–04)

3. अभ्यर्थी इस ज्ञाप के साथ उपलब्ध करायी गयी चैकलिस्ट (Checklist) को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड अवश्य करें। साक्षात्कार तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गये दावों के अनुसार चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क (**सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग हेतु ₹ 150.00 एवं उत्तराखण्ड एस0सी0/एस0टी0 आरक्षित वर्ग हेतु ₹ 60.00**) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

5. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम **चार स्वप्रमाणित फोटोग्राफ** अवश्य लाएं।

6. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग

अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद के साक्षात्कार हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित डिग्री प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था **(Examining Body)** ने नियमित प्रमाण–पत्र **(Certificate)** अथवा डिग्री **(Degree)** नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र **(Provisional Certificate)** मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर दिखाना होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र में राजकीय सेवा में सेवारत होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दिवस विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

9. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

-S/D-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव